

IV कार्य निर्वहन के लिये स्थापित मानक: - अनगर पालिका के सभी कार्य सरकार के निदेशानुसार निशापादित किये जाते हैं तथापि हिं0प्र० नगरपालिका अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रक्रियाओं का संक्षिप्तप व्यौरा निम्न प्रकार में है: -

आसंम्पत्तियों/ भूमि के खरीद पर NOC (No objection Certificate), एन0ओ0सी० की प्रक्रिया : -

- नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर आने वाले संम्पत्ति भूमि के क्य-विक्य के मामले में नगरपालिका एन0ओ0सी० जारी करती है ।
- जो कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर भूमि या संम्पत्ति अनिंत करता है उसे नगरपालिका द्वारा एन0ओ0सी० लेना होता है ।

अनल व बिजली का कनेक्शन के लिए एन0ओ0सी० की प्रक्रिया: -

- यह नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए लागू होता है ।

पब्लिक हेल्थ एवं सफाई विभाग :

जन मार्ग (Public Street) का कनेक्शन के लिए एन0ओ0सी० की प्रक्रिया: -

- यह नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति इस के लिए आवेदन भरा सकता है ।
- समाचार आवेदक स्वयं नगरपालिका जा कर या फोन पर इसके बारे में सेनीटरी इंस्पेक्टर को जानकरी देता है ।

स्लाटर हाउस:

- किसी व्यक्ति द्वारा स्लाटर हाउस नगरपालिका क्षेत्र में खोलने, तेल उधोग या डेयरी खोलने, साबुन बनाने जैसे

लघु मंत्रलय खोलने के लिए नगरपालिका से लाईसेस लेना आवश्यक है ।

अतरनाक बिल्डिंग को हटाने की परिक्षा

- किसी नए भवन के नए भाग के निर्माण के लिए या किसी भवन के पुर्ननिर्माण करने या किसी भवन में परिवर्तन करने के लिए नगरपालिका को सूचना देना तथा उसकी अनुमति प्राप्ति करना आवश्यक है । किसी भवन के बाह्य प्रक्षेप के निर्माण या पुर्ननिर्माण के लिए नगरपालिका की अनुमति लेना आवश्यक है ।

जन सुरक्षा का कार्य एवं आगजनि से नागरिक की सुरक्षा ।

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की परिक्षा

- जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण दो प्रकार से होता है अगर बच्चे का जन्म नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल मासिक रिपोर्ट द्वारा उन सभी बच्चों का पंजीकरण कर दिया जाता है जिन्होंने उस अस्पताल में जन्म लिया है । यदि नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले अस्पताल में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अस्पताल मासिक रिपोर्ट नगरपालिका को भेजने में उस मृतक का पंजीकरण हो जाता है । दूसरी स्थिति में जब बच्चे का जन्म घर में हुआ है तो बच्चे के अभिभावक या घर वाले की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वो 20 दिन के अन्दर इसका पंजीकरण नगरपालिका में करवा दे । अगर किसी व्यक्ति मी मृत्यु घर पर होती है तो मृतक के घर वालों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो नगरपालिका में आवेदन दे तथा मृत्यु पंजीकरण कराए ।